**बजट से देश के सहकारी चीनी उद्योग को बड़ी राहत**

* द्वारा प्राची माने

(चीनीमंडी.कॉम; मुंबई: फरवरी 02, 2023)

नई दिल्ली : केंद्रीय बजट से भारतीय सहकारी चीनी उद्योग को बड़ी राहत और बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने में मदद मिली है। **नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को तेजी से हासिल करने में मदद करेगा। एनएफसीएसएफ के उपाध्यक्ष केतन पटेल ने कहा, बजट 2023 एक विकासोन्मुख बजट है,जिसने सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडल को फोकस में लाया है।एनएफसीएसएफ के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि,केंद्रीय बजट 2023-24 सहकारी चीनी क्षेत्र को राहत देने के साथ ही भारतीय सहकारी चीनी क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को इस्तेमाल करने में मदद करेगा।**

उन्होंने कहा कि, निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने के लिए चीनी सहकारी समितियों को एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव सहकारी चीनी मिलों और सहकारी गन्ना उत्पादकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक राहत है। इस प्रस्ताव से देश के छोटे और सीमांत किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।इस प्रस्ताव से गन्ना किसानों और सहकारी चीनी मिलों को अनावश्यक वित्तीय और कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि,सहकारिता, कृषि और किसान केंद्रित बजट का सारा श्रेय अमित शाह के नेतृत्व में हाल ही में बनाए गए सहकारिता मंत्रालय को जाता है।

उन्होंने कहा कि,बजट की निम्नलिखित विशेषताएं सहकारी चीनी मिलों के साथ-साथ किसानों को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगी बल्कि विकास के एक नए युग की शुरुआत भी करेंगी जिससे देश के सहकारिता आधारित आर्थिक विकास को प्राप्त करने के सरकार के कदम का समर्थन किया जा सके।

1. कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा जो एक खुला स्रोत, खुला मानक और अंतर-संचालित सार्वजनिक होगा।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष।

3. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ किया जाएगा।

4. सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। ‘सहकार से समृद्धि’ के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण पहले ही शुरू कर दिया है।

5. कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में, स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पीने के पानी के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

6. 19,700 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ हाल ही में शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अर्थव्यवस्था को कम कार्बन तीव्रता में बदलने की सुविधा प्रदान करेगा, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करेगा, और देश को इस उभरते हुए क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार का नेतृत्व करने में मदद करेगा। हमारा लक्ष्य 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन तक पहुंचना है।

7. यह बजट पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्यों, और ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्रदान करता है।

8. सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना के तहत 500 नए ‘वेस्ट टू वेल्थ’ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्रों सहित 200 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र और 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल होंगे।

9. अगले 3 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण नेटवर्क तैयार किया जायेगा।

10. रासायनिक उद्योग में डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। वित्त मंत्री ने इस पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया है। यह एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का भी समर्थन करेगा और ऊर्जा परिवर्तन के लिए हमारे प्रयास को सुगम बनाएगा। घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरास्पार पर बुनियादी सीमा शुल्क भी 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके अलावा, एपिक्लोरहाइड्रिन के निर्माण में उपयोग के लिए कच्चे ग्लिसरीन पर बुनियादी सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

11. 31.3.2024 तक निर्माण गतिविधियों को शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ मिलेगा, जो वर्तमान में नई निर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है।

12. गन्ना किसानों को निर्धारण वर्ष 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए व्यय के रूप में किए गए भुगतान का दावा करने के लिए चीनी सहकारी समितियों को अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।

13. सहकारी समितियों को नकद निकासी पर टीडीएस के लिए 3 करोड़ रुपये की उच्च सीमा प्रदान की जा रही है।

\*\*\*\*\*\*\*